INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 7

भारत + विश्व + राजस्थान की राजव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**RAS (Rajasthan Administrative Service) (मुख्य परीक्षा हेतु)"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams" मुख्य** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें**/***

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp करें - https://wa.link/9qwi7z

Online order करें - https://bit.ly/4lwfqPD

मूल्य : ₹	संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	भारतीय संविधान	
1.	**संविधान निर्माण** • राजव्यवस्था का परिचय • भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना • ऐतिहासिक पृष्ठाभूमि • संविधान सभा • संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति	**1**
2.	**भारतीय संविधान की विशेषताएं** • विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या • भारतीय संविधान के स्त्रोत • सम्पूर्ण अनुच्छेद एवं भाग	**15**
3.	**संविधान संशोधन** • भारत में पंचायती राजव्यवस्था • मूल ढांचा	**30**

4.	**उद्देशिका (प्रस्तावना)**
	• संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु
	• प्रस्तावना का महत्त्व
	• मौलिक अधिकार
	• राज्य के नीति निदेशक तत्व
	• संघ एवं इसका क्षेत्र
	  ○ राष्ट्रपति
	  ○ उपराष्ट्रपति
		39

5.	**प्रधानमंत्री एवं मंत्रीपरिषद्** • प्रधानमंत्री की नियुक्ति • प्रधानमंत्री की शक्तियां • प्रधानमंत्री की भूमिका	**95**
6.	**भारतीय संसद** • लोकसभा • राज्यसभा • संसदीय समितियों का महत्व • केंद्र राज्य संबंध • उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन • उच्चतम न्यायालय	**103**

7.	**नीति आयोग** • नीति आयोग की संरचना • नीति आयोग के उद्देश्य	**139**
8.	**राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग** • आयोग का गठन • आयोग के प्रमुख कार्य	**141**
9.	**राष्ट्रीय महिला आयोग** • आयोग की संरचना • प्रमुख कार्य एवं अधिकार	**143**
10.	**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** • आयोग की संरचना • प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य	**144**
11.	**लोकनीति** • लोकनीति की मुख्य विशेषताएँ • लोकनीति निर्माण की प्रक्रिया	**145**
12.	**नागरिक चार्टर** • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	**146**
13.	**लोकपाल** • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • लोकपाल की संरचना • लोकपाल की शक्तियां	**148**
14.	**केन्द्रीय सतर्कता आयोग** • केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 • सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2004	**151**
15.	**केन्द्रीय सचूना आयोग** • सचूना आयोग अधिकार • केन्द्रीय सचूना आयोग की संरचना • केन्द्रीय सचूना आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य	**156**
16.	**लोक सेवा आयोग** • लोक सेवा आयोग के कार्य	**161**
	भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	**165**
17.	**राजनीतिक गत्यात्मकताएं** • राजनीतिक और जाति का परस्पर संबंध • राजनीति में भूमिका • राजनीति दल एवं मतदान व्यवहार गठबंधन सरकारें	**173**

	• मतदान व्यवहार, निर्वाचन सुधार एवं भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की कार्य प्रणाली • भारतीय राजनीति में विकसित समकालीन प्रतिमान	
	राजस्थान की राजव्यवस्था	
1.	**राज्य की राजनीतिक व्यवस्था** • राज्य की परिभाषा	196
2.	**राज्यपाल** • राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिशें • राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ	197
3.	**मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्** • मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ • राज्य मंत्रिपरिषद्	204
4.	**राज्य विधान मण्डल व विधानसभा** • विधान परिषद् एवं सदस्यों का कार्यकाल • विधानसभा की शक्तियाँ • विधान परिषद् की शक्तियाँ • राजस्थान विधानसभा में समितियां	212
5.	**उच्च न्यायालय** • उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार	221
6.	**महाधिवक्ता** • मुख्य कार्य और शक्तियाँ	228
7.	**मुख्य सचिव** • मुख्य कार्य और शक्तियाँ	229
8.	**राजस्थान राज्य सचिवालय** • सचिवालय का मुख्य कार्य	231
9.	**विभिन्न विभागों के निदेशालय** • निदेशालय की भूमिका और संरचना	232
10.	**संभागीय आयुक्त** • संभागीय आयुक्त व्यवस्था का विकास • संभागीय आयुक्त के कार्य एवं भूमिका	233
11.	**पुलिस अधीक्षक** • शक्तियाँ और अधिकार	234
12.	**जिला प्रशासन** • जिला प्रशासन के कार्य • जिला कलेक्टर	235

	• तहसीलदार • पटवारी	
13.	**राजस्थान लोक सेवा आयोग**	240
14.	**राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग** • मुख्य निर्वाचन आयुक्त	244
15.	**राज्य सूचना आयोग** • आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ	245
16.	**राजस्थान राज्य महिला आयोग**	249
17.	**राजस्व मंडल**	251
18.	**लोकायुक्त** • राजस्थान में लोकायुक्त	252
19.	**राज्य मानवाधिकार** • आयोग का गठन • आयोग की सदस्यों की नियुक्ति • आयोग के कार्य • आयोग की शक्तियां	256
20.	**स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं** • पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित राजस्थान में गठित समितियाँ	258
	विश्व राजनीति	
1.	**शीत युद्धोत्तर** • शीत युद्ध की रणनीतियाँ • शीत युद्ध की उत्पत्ति • शीत युद्ध का विकास • शीत युद्ध की समाप्ति	277
2.	**भारत की विदेश नीति** • प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएँ • भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास • राष्ट्रसंघ में भारत • भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ • विश्व शांति और संयुक्त राष्ट्र में विश्वास • भारत के साथ पड़ोसी देशों का संबंध • सुरक्षा परिषद् • विश्व व्यापार संगठन	290
3.	**जलवायु एवं हरित राजनीती में भारत का नेतृत्व**	332
4.	**भारत की विदेश नीति में समकालीन रणनीतिक उपक्रम** • प्रमुख समकालीन रणनीतिक उपक्रम	340

अध्याय – 1

संविधान निर्माण

राजव्यवस्था का परिचय

राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-

राज्य शब्द का प्रयोग यू तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ ***किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है |*** *राज्य वह इकाई है जिसमे लोगो का एक समुदाय एक निश्चित भू – भाग पर निवास करता है*

वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है |

राज्य के तत्व *:-*

- *भू-भाग*
- *जनसंख्या*
- *सरकार*
- *संप्रभुता*

भू-भाग *:- अर्थात् एक ऐसा* ***निश्चित भौगोलिक प्रदेश*** *होना चाहिए,जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हों | उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है |*

जनसंख्या *:- राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर* ***निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए,*** *जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हों | यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।*

सरकार *:- सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है* ***जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है |*** *'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि* ***राज्य एक अमूर्त संरचना है*** *जबकि* ***सरकार*** *उसकी* ***मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति*** *|*

संप्रभुता या प्रभुसत्ता *:- यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व है | इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या* ***की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा*** *उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए |*

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है |

कोटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग सप्तांग सिद्धांत- दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र, राज्य, क्षेत्र

राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत-

1. ***दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत (Divine Origin Theory)***

   यह राज्य की उत्पत्ति का सबसे ***प्राचीन सिद्धांत*** *है। इसके अनुसार राज्य मानवीय प्रयास का फल नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा निर्मित एक संस्थान*

   मुख्य मान्यता: *राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति नहीं।प्राचीन भारत (जैसे मनुस्मृति) और मध्यकालीन यूरोप में यह सिद्धांत बहुत लोकप्रिय था।*

2. ***शक्ति सिद्धांत (Force Theory)***
   - *इस सिद्धांत का मानना है कि "शक्ति ही अधिकार है" (Might is Right)। राज्य का जन्म युद्ध और बल प्रयोग के माध्यम से हुआ है।*
   - *शक्तिशाली व्यक्तियों या कबीलों ने निर्बल समूहों को हराकर अपने अधीन कर लिया। इस प्रक्रिया में एक विजेता 'राजा' बना और विजित क्षेत्र 'राज्य'।*
   - ***विचारक:*** *ह्यूम, ओपेनहाइमर और लुडविग गम्पलोविज़ इसके समर्थक रहे हैं।*

3. ***सामाजिक समझौता सिद्धांत (Social Contract Theory)***
   - *यह सिद्धांत मानता है कि राज्य न तो ईश्वर ने बनाया है और न ही यह केवल शक्ति का परिणाम है, बल्कि यह व्यक्तियों के बीच हुए एक* ***स्वैच्छिक समझौते*** *की उपज है।*

4. ***पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत (Kinship Theories)***
   - *ये सिद्धांत राज्य का मूल आधार* ***रक्त संबंध*** *(Blood Relation) और परिवार को मानते हैं।*
   - ***पितृसत्तात्मक सिद्धांत:*** *सर हेनरी मेन के अनुसार, परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष मुखिया होता था। परिवारों से कुल, कुलों से कबीले और अंततः राज्य बना।*
   - ***मातृसत्तात्मक सिद्धांत:*** *मॉर्गन और जेन्क्स जैसे विचारकों का मानना है कि आदिम काल में वंश परंपरा माता के नाम से चलती थी, जिससे धीरे-धीरे सामाजिक और राजनीतिक संगठन विकसित हुए।*

शासन के अंग

- ***विधायिका*** *(अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)*
- ***कार्यपालिका*** *(अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)*
- ***न्यायपालिका*** *(अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था*

शासन के तीनों अंगों में संबंध :-

किसी देश की राजव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -

कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है।

कुछ देशों में **विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता** है, जबकि **न्यायपालिका इनसे अलग होती** है। यह व्यवस्था **संसदीय प्रणाली वाले देशों** में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका,विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। **भारत और ब्रिटेन** को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है।

अमेरिका जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहां यह **तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं**। इसे **"शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत"** कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वाहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस सिद्धांत को "**नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत**" कहते हैं।

जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सकें। **भारतीय न्यायपालिका** को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का **न्यायिक अवलोकन** कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सकें।

शासन प्रणालियों के विभिन्न

प्रकार - 1

राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं।

प्रकार - 2

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि- कोणों से भी किया जा सकता है। दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :-

केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-

एकात्मक प्रणाली
संघात्मक प्रणाली
परिसंघात्मक प्रणाली

विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर :-

संसदीय प्रणाली
अध्यक्षीय प्रणाली

- **भारत की प्रणाली :-**
- भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली? काफी सोच विचार के बाद उन्होंने **संसदीय प्रणाली को चुना** जिसके दो प्रमुख कारण थे - प्रथम,भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था तथा द्वितीय, **भारत में विद्यमान क्षेत्रीय,सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य** को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी।
- 1990 के दशक में भारत में केंद्र स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस काल में लगातार गठबंधन सरकारें बनीं और कई सरकारें अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। इसके कारण कुछ विद्वानों और राजनेताओं ने यह मत व्यक्त किया कि स्थिर शासन के लिए भारत को अध्यक्षीय प्रणाली अपनानी चाहिए।
- किन्तु समय के साथ राजनीतिक दलों में सहयोग और गठबंधन की समझ विकसित हुई तथा स्थिर सरकारें बनने लगीं। इससे स्पष्ट हो गया कि अस्थिरता का कारण संसदीय प्रणाली नहीं, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं।
- अतः यह स्वीकार किया गया कि भारत जैसे बहुविध (बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक) समाज के लिए उत्तरदायी और लचीली संसदीय प्रणाली ही अधिक उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

- विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार हैं।
- परिसंघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन' कहा जाता है।**
- संघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन'** कहा जाता है। संघात्मक से तात्पर्य है संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य दोनों संविधान द्वारा निर्धारित क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च होते हैं
- **एकात्मक प्रणाली** को **'विनाशी राज्यों'** का **अविनाशी संगठन'** कहा जाता है।
- संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः **निम्न सदन** तथा **उच्च सदन** में विभाजित रहती है। **संसदीय प्रणाली में विधायिका प्रायः एकसदनीय या द्विसदनीय हो सकती है।**

संघीय ढाँचा

केंद्र के विषय:

रक्षा

विदेश नीति

संचार

संबंधित वित्त

प्रांतीय समूह

हिंदू बहुल प्रांत

उत्तर-पश्चिम मुस्लिम क्षेत्र

बंगाल-असम

संविधान सभा

कुल सदस्य: 389

चुनाव: अप्रत्यक्ष

पद्धति: STV

समुदाय: सामान्य, मुस्लिम, सिख

अंतरिम सरकार

गठन: 2 सितम्बर 1946

नेतृत्व: जवाहरलाल नेहरू

परिणाम

संविधान सभा का गठन

भारत का संविधान निर्माण प्रारम्भ

अंततः स्वतंत्रता (1947)

ट्रिक

Cabinet Mission = Union + Grouping + Constitution Assembly + Interim Government

निर्वाचन पद्धति : अप्रत्यक्ष चुनाव

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति (STV)द्वारा

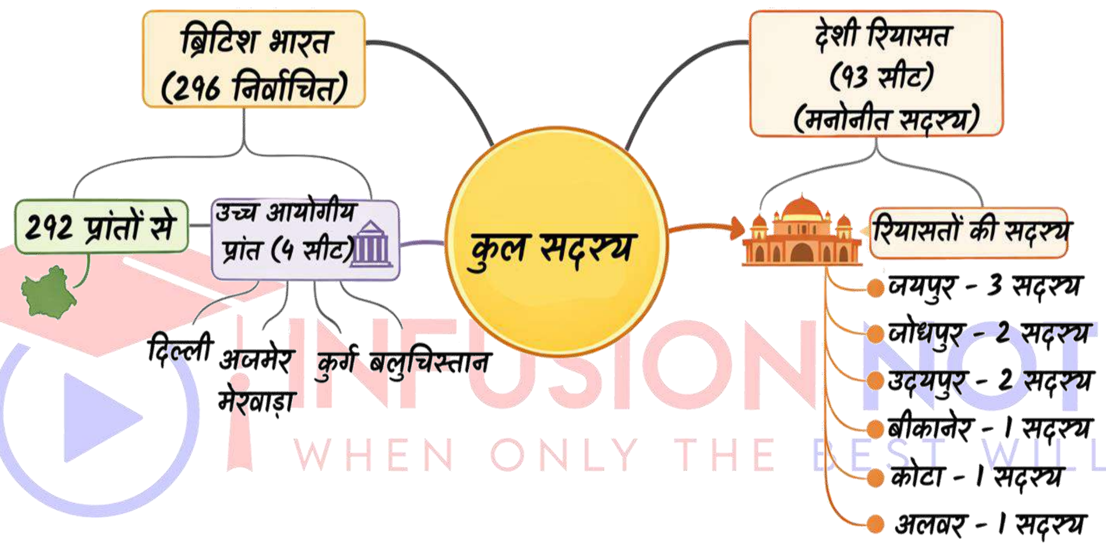

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया ।
- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना ।**
- 2वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11सत्र में हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारुप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया ।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।
- इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और
- राष्ट्रगान अपनाया गया

विभिन्न समितियाँ और उनका कार्य

- संविधान के अलग-अलग पहलुओं पर विचार करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण **प्रारुप समिति (Drafting Committee)** थी।

समिति	**अध्यक्ष**
प्रारुप समिति	डॉ. बी.आर. अंबेडकर
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल

प्रारुप समिति और संविधान का वाचन

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारुप समिति ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। इस पर तीन चरणों में चर्चा (वाचन) हुई:

4 नवम्बर 1948 → Draft Constitution सभा में प्रस्तुत हुआ।

इसे **अंतिम नहीं**, बल्कि प्रारंभिक प्रारुप (Draft) कहा जाता है।

अध्याय – 4

उद्देशिका (प्रस्तावना)

प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है, इसमें संविधान का सार होता है, प्रख्यात न्यायविद् व संवैधानिक विशेषज्ञ एन. ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को 'संविधान का परिचय पत्र ' कहा है।

सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में संविधान प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था ।

*भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाये गये **'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित** है।*

42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गये ।

एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा ।

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता;

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारिख २६ नवंबर, १९४९ ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु

"हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्पित होकर

अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना के तत्व

- *अधिकार का स्रोत भारत की जनता होगी।*
- *भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है।*
- *न्याय स्वतंत्रता समता व बस संविधान के उद्देश्य है।*
- *26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया ।*

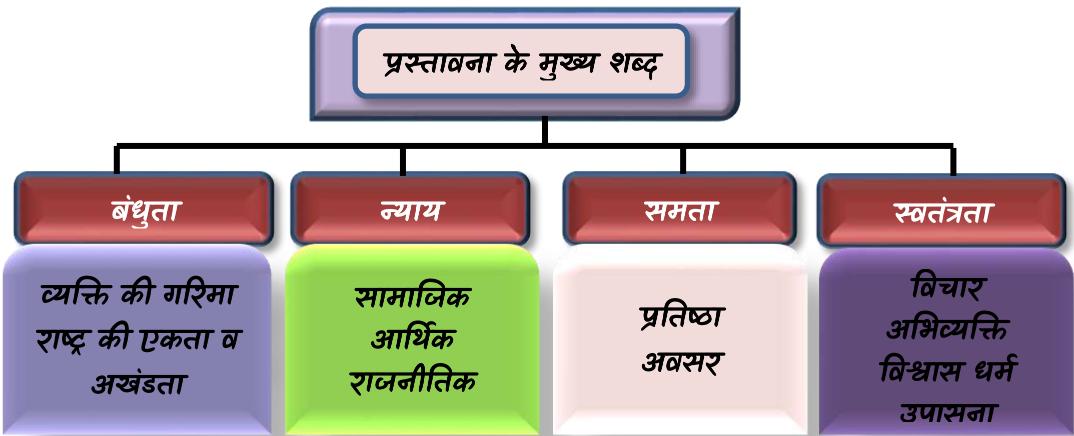

हम भारत के लोग :- "हम भारत के लोग" का अर्थ है कि **संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है।** संविधान किसी राजा, ब्रिटिश संसद या विदेशी शक्ति ने नहीं दिया। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वहीं संविधान का आधार है अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है

1. **सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न** – भारत की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व सम्पन्न राज्य घोषित किया गया है | प्रभुत्व राज्य से आशय है की **राज्य के आंतरिक व बाह्य मामले में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा |**
   26 जनवरी 1950 से भारत पूर्णतः संप्रभु राष्ट्र बन गया राजनीतिक प्रणाली में निम्नलिखित प्रकार की संप्रभुता देखने को मिलती है |
   - (a) वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता
   - (b) नाममात्र की संप्रभुता तथा वास्तविक संप्रभुता
   - (c) लोकप्रिय संप्रभुता
   - (d) नाममात्र की तथा तथ्यात्मक संप्रभुता

- संप्रभुता का सिद्धान्त 17वी सदी के लेकर 1990 तक सैद्धान्तिक एवम व्यवहारिक रूप में एक समान रूप से लागू था अर्थात् किसी भी देश के आन्तरिक तथा बाह्य मामलो में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं था |
- लेकिन 1990 के बाद वैश्विक स्तर पर उदारीकरण, निजीकरण एवम वैश्वीकरण की अवधारणा को अपनाया गया और धीरे-धीरे संप्रभुता का सिद्धान्त व्यावहारिक रूप में कमजोर पड़ा | वर्तमान समय में वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान के कारण लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक – दूसरे से जुड़ गयी | अतः वर्तमान समय में कोई भी देश व्यावहारिक रूप में पूर्ण संप्रभुता का दावा नही कर सकता |

2. **समाजवादी** :- समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था | **42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया | भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को अपनाया गया जोकि गाँधीवादी समाजवाद से प्रभावित है।**
   भारत में अपनाए गए समाजवाद में लोककल्याण भी निहित है | अर्थात् राज्य के द्वारा उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा | जो वंचित, शोषित है अर्थात् राज्य खाद्यान्न, पेयजल,शिक्षा,चिकित्सा,आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा |

- साथ ही भारतीय समाजवाद में लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल दिया गया | जिसके तहत उत्पादन के साधनों पर राज्य एवं निजी क्षेत्र दोनों को अधिकार दिया गया और वर्तमान समय में धीरे -धीरे राज्य अपना दायरा सीमित कर रहा है और निजी क्षेत्र को बड़ावा दिया जा रहा है |

3. **पंथनिरपेक्ष** – पंथनिरपेक्ष शब्द भी मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था | 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया |
   पंथनिरक्षेप राज्य से आशय हैं **(**भारत के सन्दर्भ में**) राज्य का अपना कोई धर्म नही होगा और राज्य सभी धर्मो का समान रूप से आदर करेगा।**
   पंथनिरपेक्षता राज्य के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है –
   (1) नकारात्मक पंथनिरपेक्षता – यह वह स्थिति है जिसमें राज्य का धर्म से कोई संबंध नही होता हैं। अर्थात state religion से दूरी (जैसे USA)
   नकारात्मक पंथनिरपेक्षता
   1917 में रुस में हुई बोल्शेविक क्रांति के बाद नकारात्मक पंथनिरपेक्षता को अपनाया गया और चर्च को समाप्त कर दिया गया | अधिकांश साम्यवादी देशों में इस प्रकार की पंथनिरपेक्षता पर ही बल दिया गया |इसे "Wall of separation" कहा जाता है।
   (2) सकारात्मक पंथनिरपेक्षता– सकारात्मक पंथनिरपेक्षता ऐसी स्थिति को कहा जाता है | जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नही होता है लेकिन राज्य अपने नागरिकों के धार्मिक क्रियाकलापों में होने वाली समस्याओं एवं बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी करता है |
   भारत में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा को अपनाने के पीछे सबसे महत्त्वपूर्ण कारण भारत की धार्मिक विविधता है | तो ऐसी स्थिति में धार्मिक अल्पसंख्यको के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य का पंथनिरक्षेप होना आवश्यक होता है | भारत इसी मॉडल को अपनाता है।
   नोट –

- प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया क्योकि भारत में धर्म का आशय नेतिक संहिता भी होता है।
- **स्वयं गाँधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह कहा था कि एक धर्मविहीन राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती |** उनका "धर्म" का अर्थ था:नैतिकता, सत्य और अहिंसा पर आधारित आचरण — न कि किसी एक धर्म का राज्य।
- **एस. आर. बोम्मई मामला (1994):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भले ही 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 1976 में जोड़ा गया, लेकिन भारत **1950 से ही** एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है (अनुच्छेद 25-28 के कारण)। कोर्ट ने इसे संविधान का "**मूल ढांचा**" **(Basic Structure)** घोषित किया।

4. **लोकतंत्रात्मक** – यह दो प्रकार का होता हैं –

(1) प्रत्यक्ष लोकतंत्र (जनता प्रत्यक्ष रूप से नीति-निर्माण में भागीदारी करती हैं)	(2) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं)

राज्य के नीति निदेशक तत्व

राज्य की नीति के निदेशक तत्व
भाग-4 अनुच्छेद (36-51)

- नीति निदेशक तत्वो का वर्गीकरण-
- सामान्य जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निदेशक तत्व
- नीति निदेशक तत्व को 'संविधान की आत्मा एंव दर्शन' कहा गया है
- सामान्य जनता को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निदेशक तत्व
- राजनीतिक तथा पर्यावरण संबंधी निदेशक तत्व
- अंतर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा संबंधित नीति निदेशक तत्व

अनु. 36 - राज्य की परिभाषा

अनु. 37- न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है किन्तु देश के शासन में मूलभूत है, अतः नीति बनाते समय इन तत्वो को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

अनु. 38-

(i) राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने मे जिससे लोक कल्याण में वृद्धि हो सके।

(ii) राज्य आय की असमानता समाप्त करने का प्रयास करे तथा अवसर की असमानता समान करने की व्यवस्था।

अनु. 39 -

(a) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को **जीविका के पर्याप्त साधन (adequate means of livelihood)** प्राप्त करने का समान अधिकार मिले।

(b) समुदाय के भौतिक संसाधनो का स्वामित्व एवं नियंत्रण उस प्रकार से हो जिससे सर्वसाधारण का हित हो सके।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन -1951

(c) आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण एव संचालन इस प्रकार किया जाए जिससे धन एव उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो सके।

1969 में – 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण

(d) स्त्री-पुरुष कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना।

मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व — दोनों संविधान की "मूल संरचना" हैं और **कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है।** अनुच्छेद 39(b), (c)।

अनु. 39(A):- समान न्याय एव निशुल्क विधिक सहायता।

अनु. 40 (A):- ग्राम पंचायतों का गठन –
सामुदायिक विकास कार्यक्रम – 2 oct 1952 (असफल)
राष्ट्रीय प्रसार सेवा – 2 Oct 1953 (असफल)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के कारणों । की जाँच करने के लिए **बलवन्त राम मेहता समिति 1957 बनाया** गया।

जनता को हर स्तर पर शामिल करने की धारणा ही सहभागीमूलक लोकतंत्र कहलाया।

त्रिस्तरीय पंचायत का गठन
जिला पंचायत
खण्ड
ग्राम

बलवन्त राय मेहता समिति (1957):- सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1957 में **बलवंत राय मेहता समिति** इसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की। इस समिति ने **भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया (i) जिला पंचायत (ii) खण्ड (iii) ग्राम**

उसमें यह भी सिफारिश की गई कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की मूल इकाई प्रखण्ड या समिति के स्तर पर होनी चाहिए।

इस समिति द्वारा **सर्वप्रथम राजस्थान की विधानसभा ने 2 Sep 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया।** इस अधिनियम के प्रावधानो के आधार पर **2 oct 1959 राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में पंचायती राज का उद्घान किया गया।**

अशोक मेहता समिति (1977):- बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया।

इस समिति में 13 सदस्य थे ।

इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी जिसमें कुल 132 सिफारिश की गई थी।

इस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को खत्म करने की सिफारिश की गई परन्तु इसे अपर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया।

जी. वी. के. राव समिति (G.V.K. Rao Committee)

वर्ष : **1985** (NOT 1885)

अध्यक्ष : **डॉ. जी.वी. कृष्णा राव (G.V.K. Rao)**

गठित : **योजना आयोग (Planning Commission)** द्वारा

एल. एम. सिंहवी समिति (1988):- 1988 में पी. के शुगल समिति का गठन पंचायती संस्थाओ पर विचार करने के लिये किया गया।

इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओ को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए।

पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग-9 व 11वी अनुसूचि में है तथा इसमें कुल 29 विषय है।

जिन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नही की गई है।

(i) मेघालय
(ii) मिजोरम
(iii) नागालैण्ड

पंचायती राज व्यवस्था : चुनाव एवं कार्यकाल (73वाँ संविधान संशोधन)

संघ (The Union)

(अनु.52 -151)

भाग -5

कार्यपालिका (अनु.52 -78)
- **राष्ट्रपति**
- **उपराष्ट्रपति**
- **प्रधानमंत्री**
- **मंत्रिपरिषद**
- **महान्यायवादी**

विधायिका (अनु.79 -123)
सर्वोच्च न्यायालय (अनु.124-147)
नियंत्रक एंव महालेखापरिक्षक

☞ राष्ट्रपति

भारत में '**राष्ट्र प्रमुख**' के रूप में **राष्ट्रपति** के **पद की व्यवस्था** को अपनाया गया हैं। ब्रिटिश क्राउन और अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न, संविधान निर्माताओं ने भारतीय व्यवस्था के अनुरूप इस पद के एक संतुलित स्वरूप को अपनाया । **गणतांत्रिक प्रणाली** होने के कारण संविधान में '**निर्वाचित राष्ट्रपति**' के प्रावधान को शामिल किया गया।

कार्यपालिका का प्रमुख

- मंत्रिमंड़लीय कार्यपालिका में सामान्यतः दो प्रमुख होते हैं: एक '**वास्तविक प्रमुख**' **एवं दूसरा** '**नाममात्र या औपचारिक प्रमुख**'। **भारत में राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख हैं।** तथा राष्ट्रपति कार्यालय की प्रकृति काफी सीमा तक औपचारिक हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ वास्तविक विवेकाधीन शक्तियाँ भी होती हैं:
- शासन व्यवस्था में औपचारिक प्रमुख की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती हैं:
- राष्ट्र प्रमुख के रूप में: **राष्ट्रपति देश की एकता, अखंड़ता एवं एकजुटता का प्रतीक हैं** । अतः व्यवहारिक रूप से राजप्रमुख न होते हुए भी भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्रप्रमुख की भूमिका प्रदान की गयी हैं।
- दलगत राजनीति से मुक्त रखने हेतु राष्ट्रपति कार्यालय को दलगत राजनीति से ऊपर माना जा सकता हैं ।
- प्रशासन की निरंतरता हेतु- मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता हैं और यह लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता हैं । ऐसे में प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल वाले कार्यालय का होना आवश्यक हैं ।
- संघवादी स्वरुप को बनाए रखने हेतु: भारत के संदर्भ में एक अतिरिक्त कारण, संघवाद भी हैं । राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं । इसलिए, यह कहा जा सकता हैं कि राष्ट्रपति संघ के अतिरिक्त राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता हैं ।

राष्ट्रपति एंव उनका कार्यकाल

क्र.सं.	राष्ट्रपति का नाम	कार्यकाल	विशेष विवरण
1	**डॉ. राजेन्द्र प्रसाद**	1950 – 1962	सबसे लंबी अवधि तक पद पर रहने वाले व्यक्ति। संविधान सभा के अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ,दो बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले प्रथम एंव एकमात्र व्यक्ति अनु.87 के तहत सबसे ज्यादा अभिभाषण देने वाले राष्ट्रपति
2	**डॉ. एस. राधाकृष्णन**	1962 – 1967	प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षक। इनके जन्मदिन (5 सितंबर) को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चार प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति पहली बार महिला प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति
3	**डॉ. जाकिर हुसैन**	1967 – 1969	भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। पद पर रहते हुए ही इनका निधन हुआ था। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पद पर रहते हुए किसी भी प्रधानमंत्री को शपथ नही दिलाई
4	**वी.वी. गिरी**	1969 – 1974	भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और बाद में पूर्णकालिक राष्ट्रपति चुने गए।
	मुहम्मद हिदयतुल्ला	20 जुलाई 1969 - 24 अगस्त 1969	दुसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति

5	**फखरुद्दीन अली अहमद**	1974 – 1977	इनके कार्यकाल के दौरान ही भारत में 'आपातकाल' (Emergency) की घोषणा की गई थी।
6	**नीलम संजीव रेड्डी**	1977 – 1982	भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध (uncontested) चुने गए थे।
7	**ज्ञानी जैल सिंह**	1982 – 1987	भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। इन्होंने 'पॉकेट वीटो' का पहली बार प्रयोग किया था।
8	**आर. वेंकटरमण**	1987 – 1992	अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने सर्वाधिक (4) प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया।
9	**डॉ. शंकर दयाल शर्मा**	1992 – 1997	राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत के आठवें उपराष्ट्रपति थे। चार प्रधानमंत्रियो के साथ कार्य किया उनमे से तीन को शपथ दिलाई
10	**के. आर. नारायणन**	1997 – 2002	भारत के पहले दलित राष्ट्रपति।
11	**डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम**	2002 – 2007	'मिसाइल मैन' के नाम से प्रसिद्ध और भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक।
12	**प्रतिभा पाटिल**	2007 – 2012	भारत की पहली महिला राष्ट्रपति।
13	**प्रणब मुखर्जी**	2012 – 2017	इन्हें 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा गया। पूर्व में केंद्रीय वित्त मंत्री ,रक्षा व विदेश मंत्री रहे तथा लोकसभा एव राज्यसभा में सदस्य थे
14	**राम नाथ कोविंद**	2017 – 2022	राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। दुसरे दलित राष्ट्रपति
15	**द्रौपदी मुर्मू**	2022 – वर्तमान	भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति। दूसरी महिला राष्ट्रपति

संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन हैं।

अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ "होगा" शब्द के लिए "shall" का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विधमान होगा। यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता हैं और न ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही संपन्न करवाए जाने का प्रावधान किया गया हैं। अस्वस्थता के कारण अस्थायी अनुपस्थिति आदि के मामले में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद धारण करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना पदभार पुनर्ग्रहण न करें।

<u>स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका</u>

अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

विवरण

राष्ट्रपति, अपनी इस कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है:
स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही
अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका

स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही

स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS), प्रांतीय सेवाएँ] स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं।

नौकरशाही अथवा स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों?

- संविधान निर्माता ब्रिटिश शासन के दौरान अपने अनुभव से गैर-राजनीतिक एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे।
- नौकरशाही, वह माध्यम हैं जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं।
- सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले ये प्रशिक्षित एवं प्रवीण अधिकारी, नीतियों को बनाने व उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।
- वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में नीति-निर्माण एक अत्यंत ही जटिल कार्य बन गया हैं जिसके लिए विशेषज्ञता एवं गहन ज्ञान की आवश्यकता हैं। इसके लिए दक्ष एवं स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता हैं।
- राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका का ध्यान सामान्यतः नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में अल्पकालीन राजनीतिक लाभ पर केंद्रित होता हैं। जबकि, स्थायी कार्यपालिका दीर्घकालीन समाजिक - आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान

* 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

प्रश्न – 1. प्रधानमंत्री Defeato excutive होता है व्याख्या करें?

प्रश्न – 2. प्रधानमंत्री की निर्वाचन प्रणाली को समझाइये?

प्रश्न – 3. संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन कीजिए?

प्रश्न – 4. प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए?

प्रश्न – 5. प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए?

प्रश्न – 6. सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्रीयों के उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए?

प्रश्न – 7. मंत्रिपरिषद् बनाम मंत्रीमंडल की व्याख्या कीजिए?

प्रश्न – 8. आंतरिक कैबिनेट (किचन) को समझाइये?

प्रश्न – 9. मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएँ बताइये ?

प्रश्न – 10. मंत्रिपरिषद् के राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने की उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए ?

अध्याय – 6

भारतीय संसद

संघीय विधानमंडल (संसद)

'संसद' शब्द अंग्रेजी के 'पार्लियामेंट' का हिन्दी रूपान्तरण है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द 'Parler' (जिसका अर्थ है बोलना या बातचीत करना) और लैटिन शब्द 'Parliamentum' से हुई है।

* यह शब्द **मध्यकालीन यूरोप की शासकीय परिषद् (Great Council)** से विकसित हुआ।
* मैथ्यू पेरिस ऑफ सेन्ट अल्बान्स, वह प्रथम व्यक्ति था जिसने 1239 और पुनः 1249 ई. में 'Parliament' शब्द का पादरियों, अर्लो, और लार्डों की महान परिषद् के लिए प्रयोग किया था।
* तब से यह शब्द विभिन्न मुद्दों एवं समसामयिक विषयों पर बातचीत करने का मंच सुलभ कराने वाली सभाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा।
* **भारत की संघात्मक व्यवस्था में केन्द्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं।**
* एक विचारधारा और जनता की प्रतिनिधिक संस्था के रूप में संसद युगों से उन सिद्धांतों की चिरस्थायी स्मारक रही है जिनका हम नैतिक और राजनीतिक रूप से सदैव समर्थन करते रहे हैं।
* जब तक संसद जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति तथा उसे पूरा करने वाला निकाय के रूप में कार्य करती रहेगी, तब तक यह देश में अशांति, असंतोष एवं अराजकता को रोकने का सबसे सशक्त माध्यम बनी रहेगी।
* संभवतः इन्हीं कारणों से **महात्मा गांधी ने कहा था कि, 'संसदीय सरकार के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा।'**
* भारतीय संविधान के अनु. 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे।

संसद के तीन भाग होते हैं

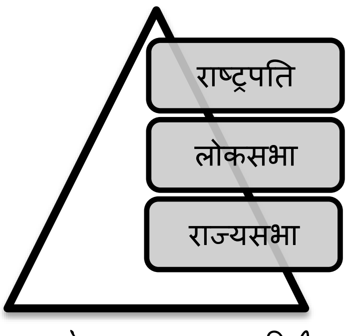

* राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसी प्रकार लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं।

- राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहने का कारण उसमें चुनकर आने वाले सदस्यों की तुलनात्मक योग्यता है।
- जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए लोग करते हैं, , इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।
- विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और यहां से पारित हो जाने के बाद वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं।
- चूंकि अधिकांश विध 'यक पहले लोकसभा में आते हैं और बाद में वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं।
- अतः विधयेयकों के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।
- प्रथम और द्वितीय सदन कहने का एक आधार और भी है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है।
- चूंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है और राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थात् जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, इसलिए भी लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।
- **अनु. 79 में राष्ट्रपति को संसद का अनिवार्य अंग बताया गया है क्योंकि वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका स्थगन कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है।**
- **कोई भी विधेयक, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही 'विधि' का रूप धारण करता है।**
- संसद से पारित हुए विधेयकों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि, राष्ट्रपति ने उसपर अपनी सहमति न दे दी हो।
- भारत के गौरव का प्रतीक **'संसद भवन'** अब दो ऐतिहासिक इमारतों का संगम है। हाल ही में भारत को एक नया और अत्याधुनिक संसद भवन मिला है।

1. **नया संसद भवन (New Parliament House)**

- इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा **28 मई, 2023** को किया गया था। यह 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' का हिस्सा है।
- **आकार:** यह एक **त्रिकोणीय (Triangular)** इमारत है, जिसे अधिकतम स्थान के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **क्षमता: लोकसभा:** इसमें 884 सदस्यों के बैठने की क्षमता है (मोर थीम पर आधारित)।
- **राज्यसभा:** इसमें 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है (कमल थीम पर आधारित)।
- **संयुक्त सत्र:** संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा हॉल में 1,272 सदस्य बैठ सकते हैं।
- **सेंगोल (Sengol):** नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक 'सेंगोल' (राजदंड) स्थापित किया गया है, जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है।
- **शिल्पकार:** इसका डिज़ाइन **एचसीपी डिजाइन (HCP Design)** के बिमल पटेल द्वारा तैयार किया गया है।

2. **पुराना संसद भवन (Old Parliament House)**

- अब इसे **'संविधान सदन'** के नाम से जाना जाता है।
- **इतिहास:** इसका उद्घाटन 18 जनवरी, 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था।
- **आकार:** यह एक **वृत्ताकार (Circular)** इमारत है।
- **वास्तुकार:** इसे ब्रिटिश वास्तुकार **सर एडविन लुटियंस** और **हर्बर्ट बेकर** ने डिजाइन किया था।
- **प्रेरणा:** माना जाता है कि इसकी आकृति मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित **'चौंसठ योगिनी मंदिर'** से प्रेरित है

❖ **लोकसभा (अनु.81)**

- **प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था।** लोकसभा के गठन के संबंध में संविधान के दो अनच्छेद, यथा 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है।
- लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है । इसे **'लोकप्रिय सदन'** या निम्न सदन भी कहा जाता है क्योंकि, इसके सभी सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ।
- लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है **इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं नोट** -(संविधान के **104वें संशोधन अधिनियम, 2019** द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीयों के लिए आरक्षित 2 सीटों के प्रावधान को **समाप्त** कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता।)
- **लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है** । इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं
- **84वाँ संशोधन (2001)** के तहत प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 2026 तक बनी रहेगी।
- परिसीमन अधिनियम 1952 के अनुसार त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है ।
- **न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा ऐसा आयोग 1973 में गठित किया गया था।**
- लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है।
- लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में

निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं:

1. वह भारत का नागरिक हो ।
2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो ।
3. वह संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो (सरकारी नौकरी में न हो)
4. वह पागल / दिवालिया न हो ।

5. निम्न में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है?
   A. राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना
   B. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
   C. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना
   D. ज्ञान, नवाचार, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना

   उत्तर – C

6. नीति आयोग के बारे में निम्न में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है?
   A. नीति आयोग प्रधान कार्यालय : दिल्ली
   B. नरेन्द्र मोदी : अध्यक्ष
   C. पेरेंट एजेंसी : भारत सरकार
   D. नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया : राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा

   उत्तर – D

अध्याय – 8

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग **एक विधिक निकाय** है, **परंतु यह एक संविधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में मानव सुरक्षा अधिकार कानून के तहत की गई थी । अधिनियम की धारा - 2 (1)A में मानवाधिकारो को परिभाषित किया गया।**

मानवाधिकार की रक्षा करना इस आयोग का प्रमुख कार्य है। भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिये गये हैं उसकी रक्षा करना इसका प्रमुख कर्त्तव्य होता है।

वर्तमान अध्यक्ष : न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश)।

आयोग का गठन

1. आयोग बहुसदस्यीय है **जिसमें एक अध्यक्ष एवं पाच सदस्य होते हैं।**
2. इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होनी चाहिए।
3. अन्य सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के तथा हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश इसके सदस्य हो सकते हैं।
4. दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानवाधिकार कानून का व्यवहारिक ज्ञान हो। इसके सदस्य हो सकते हैं।
5. इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, जातीय / जनजातीय आयोगों के अध्यक्ष इसके स्वतः सदस्य होते हैं।
6. वेतन भते -केंद्र सरकार द्वारा परन्तु निउक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं
6. अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों पर होता है।
7. इस नियुक्ति कमेटी में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता और गृह मंत्री शामिल होते है
8. **अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों तक होता है। या वह अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है।**

   पुन : नियुक्ति के लिए पात्र हैं ।

   2019 का संशोधन: इस अधिनियम में 2019 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे:

   अब **सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश** (न कि केवल पूर्व मुख्य न्यायाधीश) को अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

   अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल **5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष** कर दिया गया है

❖ मतदान व्यवहार, निर्वाचन सुधार एवं भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की कार्यप्रणाली

लोकतंत्र का वास्तविक संचालन चुनावों के माध्यम से होता है। नागरिक मतदान के द्वारा सरकार का निर्माण करते हैं, इसलिए चुनाव प्रक्रिया, मतदाता का व्यवहार तथा चुनाव सुधार — ये तीनों मिलकर लोकतंत्र की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं।

1. मतदान व्यवहार (Voting Behaviour)

(1) अर्थ

मतदान व्यवहार से आशय उन कारणों, परिस्थितियों और प्रभावों से है जिनके आधार पर मतदाता किसी दल या उम्मीदवार को वोट देने का निर्णय लेता है। अर्थात — "मतदाता वोट क्यों देता है और किसे देता है" — इसका अध्ययन मतदान व्यवहार कहलाता है।

(2) मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक

(क) सामाजिक कारक

जाति
धर्म
भाषा
क्षेत्रीय पहचान

भारत में लंबे समय तक मतदान पर जाति और समुदाय का प्रभाव प्रमुख रहा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

(ख) आर्थिक कारक

- रोजगार की स्थिति
- गरीबी
- महँगाई
- सरकारी योजनाओं के लाभ (DBT, सब्सिडी)
- अब मतदाता "विकास और लाभ" के आधार पर भी वोट देने लगा है।

(ग) राजनीतिक कारक

- नेता का व्यक्तित्व
- दल की छवि
- सरकार का प्रदर्शन (Performance Voting)

(घ) मनोवैज्ञानिक कारक

- भावनात्मक अपील
- राष्ट्रवाद
- सुरक्षा एवं संकट की भावना

(ङ) मीडिया एवं संचार

- टीवी और समाचार
- सोशल मीडिया
- चुनाव प्रचार अभियान

(3) भारत में मतदान व्यवहार की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

- महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है
- युवा मतदाता निर्णायक बन रहा है
- पहचान आधारित मतदान से "विकास आधारित मतदान" की ओर परिवर्तन
- शहरी मतदाता मुद्दा आधारित निर्णय अधिक लेते हैं

2. भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की कार्यप्रणाली

भारतीय चुनाव संविधान के अंतर्गत संचालित होते हैं और इनका संचालन एक स्वतंत्र संस्था — **निर्वाचन आयोग** — द्वारा किया जाता है।

(1) संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 324** → चुनावों का नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण निर्वाचन आयोग को
- **अनुच्छेद 325** → किसी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची से वंचित नहीं किया जा सकता
- **अनुच्छेद 326** → सार्वभौम वयस्क मताधिकार (18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं)

(2) निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)

- स्वतंत्र संवैधानिक संस्था
- संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है।
- निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।

(3) चुनाव की चरणबद्ध प्रक्रिया

1. परिसीमन (Delimitation)

जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं।

2. मतदाता सूची (Electoral Roll)

- प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज
- बिना नाम के मतदान नहीं

3. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियाँ घोषित करता है और उसी समय से **आदर्श आचार संहिता** लागू हो जाती है।

4. नामांकन (Nomination)

उम्मीदवार नामांकन पत्र भरता है और उसकी जाँच (scrutiny) होती है।

5. चुनाव प्रचार (Campaigning)

राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु प्रचार करते हैं।

6. मतदान (Polling)

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) द्वारा मतदान
- VVPAT पर्ची से मत की पुष्टि

7. मतगणना (Counting)

मतों की गिनती के बाद विजेता घोषित किया जाता है।

निर्वाचन प्रणाली

भारत में मुख्यतः **बहुलता प्रणाली (First Past The Post – FPTP)** लागू है।

जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिलते हैं, वही विजेता घोषित होता है — चाहे उसे कुल मतों का 50% न मिला हो।

निर्वाचन सुधार (Electoral Reforms)

लोकतंत्र को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण बनाने हेतु समय-समय पर सुधार किए गए हैं।

प्रमुख सुधार

भारतीय चुनाव प्रणाली को अधिक स्वच्छ, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा कई समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की सिफारिशों ने ही आज की निर्वाचन प्रक्रिया का स्वरूप तय किया है।

प्रमुख समितियाँ और उनके मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं:

1. तारकुंडे समिति (1974)

- इस समिति का गठन जयप्रकाश नारायण (JP) ने 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' के तहत किया था।
- **मुख्य सिफारिश:** मतदान की आयु **21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष** की जानी चाहिए।
- निर्वाचन आयोग को एक बहु-सदस्यीय निकाय बनाया जाना चाहिए।

2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990)

- यह समिति चुनावी सुधारों पर बनी सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक मानी जाती है।
- **मुख्य सिफारिश:** मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) की शुरुआत।
- **EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन)** का उपयोग शुरू करना।
- निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के उपाय।
- यदि कोई उम्मीदवार दो या दो से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और जीतता है, तो उसे एक सीट छोड़ने पर होने वाले उपचुनाव का खर्च वहन करना चाहिए।

3. इन्द्रजीत गुप्त समिति (1998)

- इस समिति का मुख्य केंद्र **'चुनाव का राज्य वित्तपोषण'** (State Funding of Elections) था।
- **मुख्य सिफारिश:** चुनाव खर्च का बोझ सरकार को उठाना चाहिए ताकि धनबल के प्रभाव को कम किया जा सके।
- यह सहायता नकद न होकर सुविधाओं (जैसे पेट्रोल, कागज, डाक आदि) के रूप में दी जानी चाहिए।
- उन दलों को ही यह सुविधा मिले जो अपना आयकर रिटर्न नियमित भरते हैं।

4. के. संथानम समिति

- **मुख्य सिफारिश:** उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने का सुझाव।
- निर्वाचन क्षेत्रों के समय-समय पर परिसीमन की आवश्यकता पर बल दिया।

5. लॉ कमीशन की रिपोर्ट (170वीं रिपोर्ट, 1999)

- **मुख्य सिफारिश:** चुनाव में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली के साथ-साथ 'सूची प्रणाली' (List System) को मिलाने का सुझाव।
- राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- समितियों की सिफारिशों के बाद हुए प्रमुख सुधार

सुधार	वर्ष	संबंधित समिति/स्रोत
मतदान आयु 18 वर्ष	1988 (61वाँ संशोधन)	तारकुंडे समिति
EVM का प्रयोग	2004 से पूरे देश में	दिनेश गोस्वामी समिति
VVPAT की शुरुआत	2013-14	सुप्रीम कोर्ट/चुनाव आयोग
NOTA का विकल्प	2013	पीयूसीएल बनाम भारत संघ केस
आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा	2002	चुनाव आयोग/न्यायालय

निष्कर्ष

इन समितियों ने भारतीय लोकतंत्र को **'भीड़तंत्र' से 'जागरूक लोकतंत्र'** की ओर ले जाने में मदद की है। हालांकि 'चुनाव के राज्य वित्तपोषण' और 'राजनीति के अपराधीकरण' जैसे मुद्दों पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।

क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष समिति (जैसे दिनेश गोस्वामी समिति) की सिफारिशों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करूँ?

NOTA (None of the Above)

मतदाता असंतोष व्यक्त कर सकता है।

उम्मीदवार की जानकारी का खुलासा

उम्मीदवार को बताना आवश्यक:

- आपराधिक मामले
- संपत्ति
- शिक्षा

आदर्श आचार संहिता

- सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक
- निष्पक्ष चुनाव

निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता

- चुनावों का अपराधीकरण रोकना
- धनबल और बाहुबल कम करना
- पारदर्शिता बढ़ाना
- मतदाता जागरूकता बढ़ाना

प्रमुख चुनौतियाँ

- चुनावी खर्च में वृद्धि
- फेक न्यूज़ और डिजिटल दुष्प्रचार
- वोट खरीद
- कम राजनीतिक साक्षरता

समग्र मूल्यांकन

सकारात्मक पक्ष		समस्याएँ
व्यापक प्रतिनिधित्व	-	धनबल
तकनीकी पारदर्शिता	-	दुष्प्रचार

(4) "ग्रे-ज़ोन" चुनौतियाँ

- सोशल मीडिया-प्रेरित अफवाहें, भीड़-हिंसा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ऑनलाइन कट्टरपंथ—जो अचानक कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं।

(5) कठिन भू-आकृति और दूरस्थ क्षेत्र

- LWE/NE/हिमालयी क्षेत्रों में **लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, टेरिटोरियल कंट्रोल, स्थानीय विश्वास** बनाये रखना कठिन।

(6) अधिकार-मानवाधिकार संतुलन और न्यायिक प्रक्रिया

- कड़े कदम उठाते समय **ड्यू-प्रोसेस, मानवाधिकार, पारदर्शिता, त्वरित न्याय, पुलिस सुधार**—इनका संतुलन बनाए रखना आवश्यक।

प्रभावी आन्तरिक सुरक्षा प्रबंधन के "कोर स्तंभ" (Way Forward Framework)

- **इंटेलिजेंस-लीड ऑपरेशंस + टेक-अपग्रेड:** डेटा-फ्यूज़न, तेजी से अलर्ट-रिस्पॉन्स, साइबर क्षमता
- **State Police क्षमता-निर्माण:** फॉरेंसिक्स, साइबर सेल, CT SOP, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स, प्रशिक्षण
- **CAPF आधुनिकीकरण + रिक्तियों की भरपाई:** उपकरण, संचार, ड्रोन-रोधी उपाय, हेल्थ-वेलफेयर
- **Whole-of-Government approach:** सुरक्षा + विकास + सुशासन (विशेषकर LWE/सीमावर्ती/दूरस्थ क्षेत्र)
- **समुदाय-आधारित पुलिसिंग/विश्वास-निर्माण:** स्थानीय सहयोग, रैडिकलाइज़ेशन-रोधी, जन-संवाद
- **क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा:** जोखिम-आकलन, ऑडिट, SOP, मॉक-ड्रिल, बहु-एजेंसी समन्वय

राजस्थान की राजव्यवस्था

अध्याय – 1

राज्य की राजनीतिक व्यवस्था

(परिचय)

राज्य की परिभाषा –

अरस्तु के अनुसार –"राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

सिसरो के शब्दों में – "राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।"

वुडरो विल्सन – "किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं।"

ब्लंशली – "किसी निश्चित भू- प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है।"

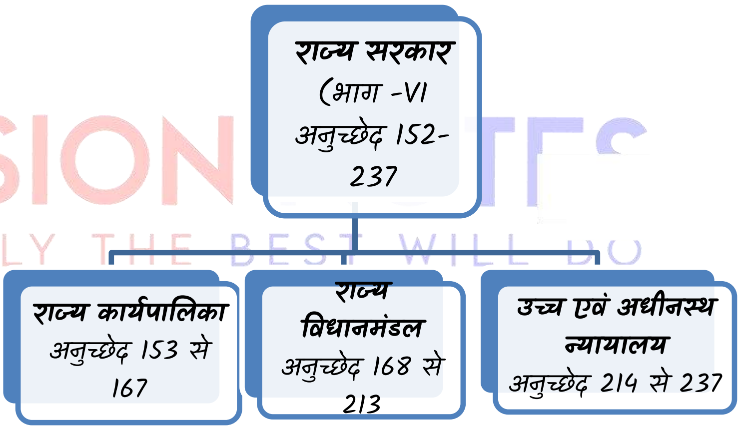

राज्य के तत्व

1. **जनसंख्या (population)** - राज्य मे जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नही की जा सकती जिसमे कोई व्यक्ति नही रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमे एक निश्चित मात्रा मे जनसंख्या हो।
2. **निश्चित क्षेत्र या भूभाग (territory)**– राज्य के लिए एक निश्चित भू-भाग होना आवश्यक है। निश्चित भू-भाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, जनसंख्या की तरह ही निश्चित भू-भाग के बिना भी राज्य की कल्पना नही की जा सकती।
3. **सरकार (government)**– राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व राज्य मे सरकार या शासन का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नही कहा

जा सकता, जब तक वहां कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो।

4. **संप्रभुता (sovereignity)** – संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज मे अन्य तीन तत्वो के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता न हो वह राज्य नही बन सकता राज्य मे। नियमों को लागू करने वाली एजेन्सी हो सकती है परन्तु संप्रभुता नही हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशिष्टता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है।

अध्याय – 2

राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। **लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।**
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते है जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 'कनाडा' से लिया गया है।**

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई जो निम्न है –
(i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
(ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिशें -

1. **सरकारिया आयोग**

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

सिफारिश –

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीती में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।

अध्याय – 4

राज्य विधान मण्डल व विधानसभा

- संविधान के **छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक** राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि का प्रावधान है ।
- अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा ।
- जहाँ विधानमण्डल के दो सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद् (उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठों का सदन) है जबकि दूसरे का नाम विधानसभा (निम्न सदन / पहला सदन / लोकप्रिय सदन) है ।

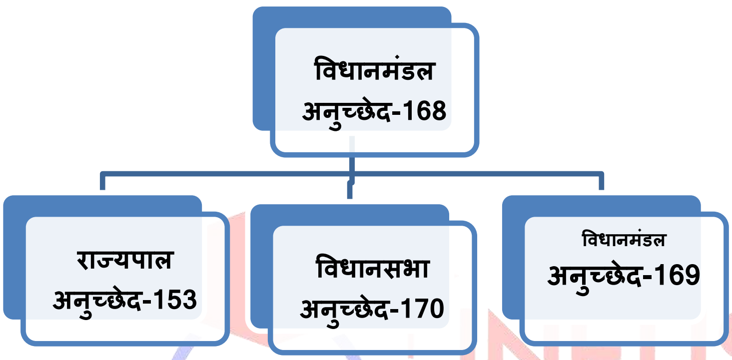

राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा

- **अनुच्छेद 170 के अनुसार** प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी । विधानसभा को निम्न सदन / पहला सदन भी कहा जाता है ।)
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट / अग्रता ही विजेता)
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इनके बीच की संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है ।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा (40), सिक्किम (32), मिजोरम (40) और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी (30) है ।

NOTE – संसद कानून बनाकर विधानसभा की सीटों में वृद्धि कर सकती है । इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है ।

- वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य- उत्तरप्रदेश (404), पश्चिम बंगाल (295) बिहार (243) महाराष्ट्र (288)

NOTE :- दो केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली एव पुडुचेरी में विधानसभा है जहाँ क्रमशः 70 एवं 30 सदस्यों की संख्या है। जम्मू - कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया है । जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में भी विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है ।

- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपात काल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं ।
- **अनुच्छेद 170** के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा ।
- जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है ।
- राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 है लेकिन प्रथम आम चुनाव (वर्ष 1952) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 160 थी जिसमें से 82 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रामराज्य परिषद् (24 सीटें) थी । छठी विधानसभा (वर्ष 1977) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हो गई । विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है । वर्तमान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।

प्रश्नः- सन् 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी (RAS. Pre.2016)
(a) 200
(b) 160
(c) 188
(d) प्रत्येक जिले में तीन विधायक
उत्तर – (b)

- **संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार** संसद विधि द्वारा विधान परिषद् का गठन या उन्मूलन कर सकती है । इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है ।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य मे विधानपरिषद् का गठन एवं उन्मूलन होता है ।

- **संसाधन प्रबंधन:** पुलिस लाइन, शस्त्रागार और वाहनों के बेड़े का प्रबंधन करना।
- **जनता से जुड़ाव:** 'जनसुनवाई' के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना।
- जिन शहरों में **कमिश्नरेट प्रणाली (Commissionerate System)** लागू है, वहाँ पुलिस अधीक्षक की शक्तियाँ **पुलिस उपायुक्त (DCP)** को दी जाती हैं। इस प्रणाली में DCP के पास कुछ मजिस्ट्रियल शक्तियाँ भी होती हैं।
- **राजस्थान में आयुक्त प्रणाली की शुरुआत 1 जनवरी 2011** को की गई।
- प्रारंभ में यह प्रणाली **जयपुर** और **जोधपुर** में लागू की गई।
- वर्तमान में राजस्थान में **कुल 2 जिलों** में आयुक्त प्रणाली लागू है—

1. जयपुर
2. जोधपुर

- **आयुक्त प्रणाली** के अंतर्गत **आयुक्त (Commissioner)** को **दंडनायक (Executive Magistrate)** की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- **पुलिस महानिरीक्षक (Inspector General of Police – IG)** रैंक के **IPS अधिकारी** को आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अध्याय – 12

जिला प्रशासन

- प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से सभी राज्यों को छोटी - छोटी इकाइयों में विभक्त किया गया है जिन्हें जिला कहा जाता है ।
- सन् 1772 में अंग्रेजी शासन काल में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 'कलेक्टर' का पद सृजित करने के साथ ही आधुनिक जिला प्रशासन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ।
- स्वतंत्रता के बाद जिला को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में अपनाया गया ।
- भारत के संविधान में भी जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में जिला शब्द का अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में प्रयोग किया गया है । पंचायती राज के लिए जिला परिषद् का प्रयोग अनुच्छेद 243 में किया गया है ।

जिला प्रशासन के महत्त्व के कारण

1. जिला प्रशासन तथा जिलाधीश के पद की छवि भारतीय जन साधारण के मन में परम्परागत श्रेष्ठता के रूप में अंकित है।
2. भौगोलिक दृष्टि से संतुलित क्षेत्र स्थिति के कारण प्रशासनिक दृष्टि से सुविधापूर्ण तथा क्षेत्रीय स्तर तक पहुँच बनाए रखता है
3. जिला मुख्यालय तक आम आदमी का आना - जाना आसानी से होता रहता है ।
4. राज्य सरकार के समस्त कार्यालय प्रायः जिला स्तर पर स्थापित होने के कारण राज्य की राजधानी से समन्वय स्थापित करने में सुविधा रहती है ।
5. ऐतिहासिक निरन्तरता के साथ- साथ जिला एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान तथा अपनत्व का बोध कराता है ।
6. जिला प्रशासन स्थानीय समस्याओं से अवगत रहता है ।

जिला प्रशासन के कार्य

- जिला प्रशासन राज्य प्रशासन और जन साधारण के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है । राज्य सरकार के समस्त कार्यों को जिला स्तर पर स्थापित करने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है ।
- जिला प्रशासन के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं

i. **नियामकीय कार्य :** - जिला प्रशासन के नियामकीय कार्यों के जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना अपराधों पर नियंत्रण करना न्यायिक प्रशासन करना आयकर ब्रिकीकर चुंगीकर वनों पर कर एकत्रित करना, भू - राजस्व बकाया प्राप्त करना भूमि प्रशासन के सामान्य कार्य आदि करना सम्मिलित है ।

ii. **विकासात्मक कार्य करना -** जिला प्रशासन के द्वारा जिले में विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित कार्य किए जाते हैं।

विकास के कार्यों के अंतर्गत जनकल्याणकारी और लोकहितकारी किए जाते हैं । जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाना, सहकारिता पशुधन और मछली पालन को प्रोत्साहित करना, शिक्षा का प्रसार करना, समाज कल्याण के कार्य करना।

iii. **कार्मिक प्रशासन के कार्य करना-** कार्मिक प्रशासन के कार्यों भर्ती करना, प्रशिक्षण देना पदोन्नति करना, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना और पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है ।

iv. **निर्वाचन संबंधी कार्य करना -** जिले में लोकसभा, विधानमण्डल, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को करवाना जिला प्रशासन का महत्त्वपूर्ण कार्य होता है ।

v. **स्थानीय संस्थाओं का संचालन करना : -** जिले में नगरीय संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के प्रशासन की सुचारु रूप से सचालित करने में जिला प्रशासन सहयोग प्रदान करता है ।

vi. **राहत कार्य करना : -** जिले में प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़, भूकम्प, सूखा, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों का संचालन किया जाता है ।

vii. **समन्वय संबंधी कार्य करना :-** जिला प्रशासन के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों, स्वयसेवी संगठनों, निजी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है ।

❖ जिला कलेक्टर

जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी होता है ।

जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका-

A. **प्रशासनिक अधिकारी के रूप में : -** एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर निम्नलिखित कार्यों को संपादित करता है

1. पोस्डकॉर्ब (POSDCORB) के कार्यों को करना।
2. जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिले में कार्यरत अन्य राजपत्रित अधिकारियों को पदस्थापना करना और उनका स्थानांतरण करना ।
3. वार्षिक बजट का अनुमान प्रस्तुत करना ।
4. कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य करना ।
5. जिले के राजस्व भवनों का निर्माण करना और उनकी देखभाल करना ।
6. वह जिला कोषालय का प्रभारी होता है और जिले की सभी ट्रेजरी या कोषालयों की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है।
7. सरकारी वाहनों, सर्किट हाउस और डाक बंगले पर नियंत्रण रखना ।
8. जिला प्रशासन की संपत्ति, धरोहर, भवनों, इमारतों और पर्यटक स्थलों की रक्षा करता है ।
9. जिला प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरीक्षण करना ।
10. जिले के गाँवों और नगरीय क्षेत्रों का दौरा करके जनता की शिकायतों की सुनवाई करना ।

B. **जिलाधीश के रूप में :-** जिला कलेक्टर के रूप में वह राजस्व संग्रह का कार्य करता है । जो निम्न है-

1. भू- राजस्व की दरों का निर्धारण करना ।
2. भू- राजस्व को संग्रह करना ।
3. कृषि आयकर, ब्रिकी कर, सिंचाई कर, नहरी शुल्क तथा आयकर और अन्य करों को संग्रह करना।
4. कृषि ऋणों का वितरण और उनकी वसूली करना।
5. भू - अभिलेख से संबंधित सभी प्रकरणों को देखना।
6. भू - राजस्व से संबंधित मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना ।
7. भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य करना ।
8. स्टाम्प एक्ट का क्रियान्वयन करना ।
9. सरकारी संपत्ति और भूमि की रक्षा करना ।
10. उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी को भू-राजस्व के संबंध में मार्गदर्शन देना और उन पर नियंत्रण करना ।
11. कृषि से संबंधित सांख्यिकी और आँकड़ों को तैयार करवाना।
12. जिला स्तर के स्थानीय अधिकारियों के राजस्व निर्णय की अपीलें सुनना ।

C. **जिला दण्डाधिकारी के रूप में**

1. जिले में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखना ।
2. शान्ति भंग होने से उत्पन्न संकट में आदेश जारी करना ।
3. साम्प्रदायिक दंगो, आतंककारी गतिविधियों, जन आन्दोलनों, उग्र छात्र प्रदर्शनों, राजनीतिक आन्दोलनों तथा जातीय संघर्षों पर नियंत्रण करना।
4. फौजदारी घटनाओं के बारे में पुलिस से जानकारी प्राप्त करना ।
5. जिले की पुलिस के कार्यों का निरीक्षण करना और उसे तत्संबंधी आदेश एवं निर्देश जारी करना ।
6. अपराधियों और असामाजिक तत्त्वों को जिले से बाहर भेजना ।
7. जिला कारागारों एवं उनमें रहने वाले कैदियों का निरीक्षण करना ।
8. जिला पुलिस प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना और गृह विभाग को उस वार्षिक रिपोर्ट को भेजना ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है।
- जस्टिस सैय्यद सगीर अहमद , राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे।
- एच.एल. दत्तू ने राज्य मानवाधिकार आयोग को ' दंतहीन बाघ या कागज़ी शेर ' की संज्ञा दी।

अभ्यास प्रश्न

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया?

(अ) 5 मई, 1992 (ब) 10 अक्टूबर, 1992
(स) 5 मई, 1993 (द) 10 अक्टूबर, 1993

Ans.:-(द)

2. निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है ?

(अ) विधानसभा अध्यक्ष
(ब) मुख्यमंत्री
(स) राज्य का गृहमंत्री
(द)उच्च न्यायालयका सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश

Ans.:-(द)

3. भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु 'मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम' कब लागू हुआ?

(अ) 28 अगस्त, 1993 (ब) 20 मई, 1991
(स) 28 सितम्बर, 1993 (द)20 फरवरी, 1991

Ans.:-(स)

4. निम्न में से कौन सा कार्य मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है?

(अ) मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना।
(ब) बंदीगृहों की स्थितियों का अध्ययन कर, अपेक्षित सुधार हेतु सिफारिशकरना।
(स) न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से सम्बन्धित कार्यवाही मेंहस्तक्षेप करना।
(द) उक्त सभी

Ans.:-(द)

5. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)

(a) सदस्य व अध्यक्ष अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं।
(b) राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं।
(c) राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य 60 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं।
(d) राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पदावधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं।

सही उत्तरः (d)

अध्याय – 20

स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं

प्राचीनकाल में

- वैदिककाल में सभा, समिति, विदथ नामक राजनीतिक संस्थायें थी जो स्थानीय पंचायत और केन्द्रीय सभा का कार्य करती थी।
- अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है जो ग्राम का प्रमुख होता था।
- बौद्धकाल में 'ग्राम' का मुखिया 'ग्रामयोजक' होता था।
- मौर्यकाल में ग्रामसभा का मुखिया 'ग्रामिक' कहलाता था।
- सर्वप्रथम ग्राम पंचायत व्यवस्था स्वरूप 'चोल साम्राज्य' में प्राप्त होता है। चोलकाल में पंचायत को ' उर ' कहा जाता था।
- मुगलकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ' ग्राम ' थी जिसका मुखिया ' मुकद्दम ' या ' चौधरी ' कहलाता था तथा मुगलकाल में नगर का प्रमुख ' कोतवाल ' कहलाता था।

ब्रिटिश भारत में

- ब्रिटिश भारत में स्थानीय शासन का आरम्भ वर्ष 1688 से मद्रास नगर निगम की से माना जाता है
- राजस्थान में प्रथम नगरपालिका वर्ष 1864 में 'माउण्ट आबू' में स्थापित की गई।
- भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ' लॉर्ड रिपन ' को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिला बोर्ड ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का गठन किया एवं स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया। लॉर्ड रिपन के इसी प्रस्ताव को' स्थानीय शासन ' का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
- वर्ष 1919 में मान्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम के तहत् स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों में शामिल किया गया तथा वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रान्तीय / राज्य सूची में रखा गया।
- राजस्थान में बीकानेर प्रथम रियासत थी जिसने वर्ष 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया।
- महात्मा गाँधी ने ' ग्राम स्वराज्य ' की कल्पना अपनी पुस्तक 'माई पिक्चर ऑफ फ्री इण्डिया ' में की।
- पंचायतीराज राज्य सूची का विषय है।

पंचायती राज

- पंचायतीराज भारतीय संविधान के भाग-4 (नीति - निर्देशक तत्व) के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत (पंचायतीराज) की व्यवस्था की गई है।
- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1952 को 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' चलाया गया फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से लेकिन सरकारी मशीनरी (नौकरशाहों) के अत्यधिक हस्तक्षेप व जनसहभागिता की कमी के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा। 2 अक्टूबर, 1953 को ' राष्ट्रीय प्रसार

सेवा कार्यक्रम ' चलाया गया । इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य - ग्रामीण विकास था लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहे ।

- 'पंचायती राज' और 'नगरपालिका प्रणाली' को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1957 में ' सामुदायिक विकास कार्यक्रम 'व' राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ' की असफलता की जाँच हेतु गठित समिति **बलवन्त राय मेहता समिति** ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर (बगदरी गाँव) जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।

प्रश्न:- वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं ? (RAS. pre. 2016)

(A) 5 बार **(B) 8 बार**

(C) 9 बार **(D) 10 बार**

उत्तर - (D)

- किन्तु वाँछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

क्र. सं.	वर्ष	समिति का नाम	प्रमुख सिफारिशें
1.	1957	बलवंत राय मेहता	• लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की । • पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। **i. जिला स्तर पर - जिला परिषद** **ii. ब्लॉक (खण्ड) स्तर पर - पंचायत समिति** **iii. ग्राम स्तर पर (सबसे निचला स्तर) - ग्राम पंचायत** • जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला कलेक्टर को बनाये जाने की सिफारिश की। • इन्होंने मध्य / खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की।
2.	1977	अशोक मेहता	• पंचायतीराज का ढाँचा द्विस्तरीय होना चाहिए। **i. जिला स्तर जिला परिषद** **ii.मण्डल स्तर पर पंचायत समिति** • इस समिति ने ग्राम पंचायत (निम्न स्तर) को समाप्त करने की सिफारिश की । • इस समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की। • अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की । • दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायतीराज के चुनाव कराने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश । • पंचायतीराज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश की । • न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की।
3.	1985	जी.वी.के. राव समिति	• पंचायतीराज का ढाँचा चार स्तरीय होना चाहिए- **i. राज्य स्तर पर -** राज्य परिषद **ii. जिला स्तर पर -** जिला परिषद **iii. खण्ड स्तर पर-** पंचायत समिति **iv. ग्राम स्तर पर -** ग्राम पंचायत • इस समिति ने खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की । • जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने की सिफारिश की। • इस समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराये जाने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच

ई-मित्र केंद्रों ने दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं से जोड़ा।

6. प्रशासनिक दक्षता

डिजिटल डेटा साझा होने से निर्णय-प्रक्रिया तेज हुई और विभागीय समन्वय बढ़ा।

III. प्रमुख चुनौतियाँ

1. डिजिटल विभाजन

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण सभी नागरिक समान रूप से लाभ नहीं उठा पाते।

2. तकनीकी समस्याएँ

सर्वर बाधाएँ, पोर्टल की धीमी गति और तकनीकी सहायता की कमी सेवाओं को प्रभावित करती हैं।

3. साइबर सुरक्षा

डिजिटल डेटा और पहचान प्रणालियों के कारण डेटा चोरी और गोपनीयता जोखिम बढ़ते हैं।

4. प्रशासनिक क्षमता

कई कर्मचारियों को आईटी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अन्यथा तकनीक का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता।

5. सामाजिक बाधाएँ

अशिक्षित, बुजुर्ग और गरीब वर्ग डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

6. विभागीय समन्वय

सभी विभागों के पोर्टल पूरी तरह एकीकृत नहीं होने से नागरिकों को कई मंचों का उपयोग करना पड़ता है।

7. अवसंरचना समस्याएँ

बिजली और इंटरनेट की अनियमित उपलब्धता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बाधा है।

IV. सुधार के उपाय

- डिजिटल साक्षरता अभियान
- साइबर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना
- ग्राम स्तर तक इंटरनेट अवसंरचना विस्तार
- एकीकृत सेवा प्लेटफॉर्म विकसित करना
- मोबाइल आधारित सेवाओं का विस्तार
- प्रशासनिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता

☛ **नोट-** राजस्थान ने ई-शासन को प्रशासनिक सुधार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपनाया है। ई-मित्र, SSO, जन-आधार और जन सूचना जैसे कार्यक्रमों ने शासन को नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी बनाया है।

हालाँकि डिजिटल विभाजन, तकनीकी अवरोध और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ अभी मौजूद हैं। यदि डिजिटल अवसंरचना और जनजागरूकता को और मजबूत किया जाए तो ई-शासन राज्य में प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करने का आधार बन सकता है।

विश्व राजनीति

अध्याय – 1

शीत युद्धोत्तर

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को **शीत युद्ध** के नाम से जाना जाता है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कन्धा मिलाकर धूरी राष्ट्रों - जर्मनी, इटली और जापानके विरुद्ध संघर्ष किया था। किन्तु युद्ध समाप्त होते ही, एक ओर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी।
- ☛ **Note :-** द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितम्बर 1939 से प्रारंभ होकर 2 सितम्बर 1945 तक मित्र राष्ट्र और धूरी राष्ट्रों के मध्य हुआ ।
- मित्र राष्ट्र – ब्रिटेन USA, सोवियत संघ, चीन आदि।
- धूरी राष्ट्र – जर्मनी, जापान, इटली आदि
- रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवादी देश दो खेमों में बँट गये। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता था। बर्लिन संकट, कोरिया युद्ध, सोवियत रूस द्वारा आणविक परीक्षण, सैनिक संगठन, हिन्द चीन की समस्या, यू-2 विमान काण्ड, क्यूबा मिसाइल संकट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने शीतयुद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया। सन् 1991 में सोवियत रूस के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गयी और शीत युद्ध की समाप्ति हो गयी।

- **शीत युद्ध का अर्थ**
- शीत युद्ध (Cold War) की प्रकृति पर आपका यह विवरण बहुत ही प्रभावशाली और सटीक है। आपने इस युद्ध के "मनोवैज्ञानिक" और "राजनैतिक" पहलुओं को बहुत गहराई से स्पष्ट किया है।

शीत युद्ध की अनूठी प्रकृति

- **अस्त्र-विहीन युद्ध:** यह "गर्म युद्ध" (Hot War) के विपरीत था। इसमें सेनाएं आमने-सामने नहीं लड़ीं, बल्कि यह **धमकियों और कूटनीतिक चालों** का युद्ध था।
- **वैचारिक संघर्ष:** यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं—**पूँजीवाद (USA)** और **साम्यवाद (USSR)**—के बीच का संघर्ष था।
- **प्रचार और संचार के साधन:** जैसा कि आपने उल्लेख किया, इसे "वाक् युद्ध" कहा जाता है क्योंकि इसमें **रेडियो, पत्र-पत्रिकाओं और 'कागज के गोलों'** (Propganda) का

जमकर इस्तेमाल किया गया ताकि वैश्विक जनमत को अपने पक्ष में किया जा सके।

शीत युद्ध की रणनीतियाँ

- **परोक्ष युद्ध (Proxy Wars):** यद्यपि दोनों महाशक्तियाँ सीधे नहीं लड़ीं, लेकिन उन्होंने दुनिया के अन्य हिस्सों (जैसे वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान) में स्थानीय स्तर पर परोक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।
- **प्रतिरोध (Deterrence):** "युद्ध को शस्त्रायुद्ध में बदलने से रोकने के उपाय" के तहत **परमाणु हथियारों** की होड़ ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जहाँ दोनों पक्ष जानते थे कि युद्ध का अर्थ पूर्ण विनाश है। इसी भय ने इसे 'शीत' बनाए रखा।
- **गुटबाजी:** प्रत्येक महाशक्ति का उद्देश्य अधिक से अधिक मित्र राष्ट्रों को अपने पाले में शामिल करना था, ताकि शत्रु गुट की चालों को असफल किया जा सके।
- **ऐतिहासिक महत्व**
- यह युद्ध मात्र अविश्वास की परिणति नहीं था, बल्कि इसने दशकों तक वैश्विक राजनीति की दिशा तय की। 1945 से 1991 तक पूरा विश्व **द्वि-ध्रुवीय (Bipolar)** रहा।

शीतयुद्ध की उत्पत्ति

- शीतयुद्ध के लक्षण द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे, जब दोनों महाशक्तियां अपने-अपने वैचारिक मतभेद (साम्यवाद बनाम पूँजीवाद),सुरक्षा-चिंता (security dilemma)शक्ति संतुलन (balance of power)को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी, वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीतयुद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे, दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना प्रबलित हो गई थी। इन शिकायतों के कुछ सुदृढ़ आधार थे। ये पारस्परिक मतभेद ही शीतयुद्ध के प्रमुख कारण थे, शीतयुद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

शीत युद्ध के उदय के कारण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे

(1) ऐतिहासिक कारण -

- सामान्यतः **शीत युद्ध** की उत्पत्ति का कारण सन् 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति मानी जाती है। बोल्शेविक क्रान्ति के पश्चात् रूस में साम्यवाद का उदय हुआ और पश्चिमी राष्ट्र इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर शंकित होने लगे। उन्होंने इसे विश्व में फैलने से रोकने के लिए इसको समाप्त करने का विचार बना लिया हिटलर ने 1941 में सोवियत संघ पर हमला (Operation Barbarossa) अपनी विस्तारवादी नाजी नीति के तहत किया।
- यह जरूर कहा जाता है कि ब्रिटेन-फ्रांस की तुष्टिकरण नीति (Appeasement Policy) के कारण जर्मनी मजबूत हो गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर रूस पर हमला करवाया — ऐसा इतिहास में प्रमाणित नहीं है।

(2) द्वितीय मोर्चे का प्रश्न -

- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी के आक्रमण से सोवियत संघ को भारी क्षति पहुँची। इसलिए स्टालिन ने ब्रिटेन और अमेरिका से पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने का आग्रह किया, ताकि जर्मनी पर दबाव कम हो सके। किन्तु मित्र राष्ट्रों द्वारा इस मोर्चे को खोलने में विलंब हुआ और 1944 में नॉर्मंडी आक्रमण के साथ यह संभव हो पाया। इस देरी से सोवियत संघ को पश्चिमी देशों पर संदेह हुआ और दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बढ़ गया, जिसने शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की।

(3) युद्धोत्तर उद्देश्य में अन्तर -

सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के युद्धोपरान्त उद्देश्यों में भी अन्तर था । भविष्य में जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए कटिबद्ध थे।

(4) सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना-

- सन् 1945 में याल्टा सम्मेलन में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, लेकिन स्टालिन ने पोलैण्ड में अपनी संरक्षित लूबनिन सरकार लादने का प्रयत्न किया।
- उसने चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी तथा रूमानिया से पश्चिमी देशों ने इसे समझौते की भावना के विपरीत माना, जबकि सोवियत संघ इसे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताता रहा। इस घटना से दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहरा गया और यही तनाव आगे चलकर शीत युद्ध के प्रमुख कारणों में परिवर्तित हो गया।

(5) रूस द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण -

- सोवियत संघ ने सन् 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। किन्तु युद्ध की समाप्ति पर सोवियत रूस ने समझौते का अतिक्रमण करते हुए साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और यहाँ सर्वहारा की तानाशाही(कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुए) स्थापित कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों का नाराज होना स्वाभाविक था।
- सर्वहारा :- यहाँ सर्वहारा से तात्पर्य समाज की नीचे वाली श्रेणी के लोगों से है जैसे – मजदूर ।

☛ **Note :-** साम्यवादी :- साम्यवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर समतामूलक वर्गहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है ।

(6) ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना —

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। युद्धोपरान्त सोवियत संघ ने वहाँ से सेना हटाने से इन्कार कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप

ही सोवियत संघ ने वहाँ से सेनाएँ हटाईं। इससे भी पश्चिमी राष्ट्र नाराज हो गए।

(7) यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप –

- सन् 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु बाद में सोवियत संघ के प्रोत्साहन से पड़ोसी साम्यवादी राष्ट्रों- अल्बानिया, यूगोस्लाविया एवं बुल्गारिया आदि द्वारा यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परम्परागत राजतन्त्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी।

(8) टर्की पर सोवियत संघ का दबाव -

- युद्ध के तुरन्त बाद सोवियत संघ नेरी के कुछ प्रदेश और वास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परन्तु पश्चिमी देश इसके विरुद्ध थे।

(9) परमाणु बम का आविष्कार -

शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण परमाणु बम का आविष्कार था। अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम पर अभिमान हो गया था। सोवियत संघ से परमाणु बम के रहस्य को छुपाया गया। अतः इस कारण भी दोनों पक्षों में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

(10) सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार-

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पूर्व से ही सोवियत संघ के प्रमुख समाचार-पत्रों में अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित होने लगे। अमेरिका ने इस प्रचार अभियान का विरोध किया।

(11) पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान -

पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति ने जलती आग में घी का कार्य किया। 18 अगस्त, 1945 को अमेरिका के राज्य सचिव और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि "हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना है।" अतः सोवियत संघ एवं अमेरिका में मतभेद और उग्र हो गए।

(12) बर्लिन की नाकेबन्दी –

सोवियत संघ द्वारा लन्दन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबन्दी कर दी गई। इसे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद् में रखा और शान्ति के लिए घातक बताया।।

(13) सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार-बार प्रयोग-

सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए बार-बार वीटो का प्रयोग किया। वीटो के इस दुरुपयोग के कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे।

वीटो – UNSC में 5 स्थायी देशों – चीन, फ्रांस, रूस, USA, ब्रिटेन को वीटो पॉवर प्राप्त है। वीटो का अर्थ है, "मैं अनुमति नहीं देता हूँ" यदि UN में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है और कोई एक स्थायी देश अपनी वीटो का इस्तेमाल करके प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो यह प्रस्ताव रद्द हो जाता है।

(14) सोवियत संघ की लैण्ड –

लीज सहायता बन्द करना-लैण्ड-लीज एक्ट के अन्तर्गत सोवियत संघ को अमेरिका द्वारा दी जा रही अल्प सहायता राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा बन्द किए जाने पर सोवियत संघ असन्तुष्ट हो गया। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला।

(15) सैद्धान्तिक व वैचारिक संघर्ष –

यह एक वैचारिक संघर्ष था, क्योंकि अमेरिका एक पूँजीवादी राष्ट्र है, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी 'विश्व के मजदूरों एक हो जाओ' की साम्यवादी घोषणा 'बुर्जुआ पूँजीवादी व्यवस्था' को नष्ट करने का खुला ऐलान था।

यहाँ पूँजीवादी राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों से है जहाँ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात् जिन राष्ट्रों में उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूँजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। तथा निजी सम्पत्ति का अधिकार होता है।

(16) शक्ति संघर्ष –

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् दो शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ-अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों राष्ट्रों में विश्व में अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए शक्ति संघर्ष अनिवार्य था। मॉर्गेन्थाऊ के अनुसार, "अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है।"

(17) हित संघर्ष –

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर अमेरिका और सोवियत संघ के हित एक-दूसरे के विरुद्ध थे और दोनों अपने स्वार्थों के लिए संघर्षरत थे।

उपर्युक्त सभी कारणों के फलस्वरूप शीत युद्ध की भावना का विस्तार हुआ।

<u>पॉट्सडैम सम्मेलन (Potsdam Conference)</u>

- तिथि: **17 जुलाई – 2 अगस्त 1945**
- स्थान: **पॉट्सडैम (बर्लिन के पास), जर्मनी**
- नेता:
- हैरी ट्रूमैन (अमेरिका)
- जोसेफ स्टालिन (सोवियत संघ)
- विंस्टन चर्चिल/एटली (ब्रिटेन)
- द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई-अगस्त 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं के बीच पॉट्सडैम सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें पराजित जर्मनी के प्रशासन, उसके निरस्त्रीकरण, सीमाओं के पुनर्निर्धारण तथा यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था पर विचार किया गया। पोलैंड में शासन व्यवस्था और पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को लेकर महाशक्तियों के बीच मतभेद उभर आए। सोवियत संघ अपनी सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप में अनुकूल सरकारें चाहता था, जबकि पश्चिमी राष्ट्र वहाँ स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के पक्षधर थे। इसी समय अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार संबंधी जानकारी गुप्त रखने से भी पारस्परिक

7. **अंतरिक्ष और विज्ञान सहयोग**

- भारत का पहला उपग्रह '**आर्यभट**' सोवियत संघ के सहयोग से 1975 में लॉन्च किया गया था।
- अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय **राकेश शर्मा** को सोवियत कार्यक्रम के तहत भेजा गया था।
- वर्तमान में, रूस भारत के '**गगनयान**' मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण और उपकरणों की आपूर्ति में सहयोग कर रहा है।
- दोनों देश **GLONASS** (रूसी नेविगेशन प्रणाली) के उपयोग पर भी सहयोग कर रहे हैं।

8. **सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध**

- रूस में **भारतीय सिनेमा (बॉलीवुड)** की लंबी लोकप्रियता रही है, विशेष रूप से राज कपूर की फिल्में जैसे 'आवारा'।
- रूस में **योग** 1980 के दशक से लोकप्रिय है और वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है।
- रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की **स्थायी सीट** का खुलकर समर्थन करता है।
- दोनों देश **ब्रिक्स (BRICS), जी20, और शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं।

9. **समकालीन विकास और चुनौतियां**

- रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद, भारत ने रूस के साथ अपनी "समय-परीक्षित" साझेदारी बनाए रखी है और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रियायती तेल का आयात जारी रखा है।
- हालांकि, पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस और चीन के बढ़ते संबंधों ने भारत के लिए "बहु-संरेखण रणनीति" की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।
- 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के नौ रणनीतिक क्षेत्रों पर जोर दिया।

चुनौती:-

- भारत और अमेरिका संबंध बेहतर होना जिसके तहत CAATSA के तहत अगर कोई देश रूस से संबंध रखेगा तो अमेरिका उस पर कार्यवाही कर सकता है यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है कि अमेरिका से संबंध रखते हुए भी रूस से संबंध कैसे अच्छा रखा जाए।
- रूस का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंध के बीच बड़ी चुनौती आती है कि रूस और भारत का संबंध अच्छा बना रहे।
- भारत-रूस के मध्य आर्थिक संबंध भी भारत और रूस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है।
- भारत और रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे भारत अमेरिका से अच्छे संबंध रखते हुए एक ध्रुवीय विश्व को प्रति संतुलित कर सके।

❖ **यूरोपीय संघ:-**

यूरोपीय बहादुर 27 देशों का एक अंतर सरकारी और अधीक्षक संगठन है जो एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है।

यूरोपीय संघ का उत्थान:-

- 1951 की पेरिस संधि :- इस संधि में कुल 6 देश है जर्मनी, फ्रांस इटली, लक्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड । इन सभी देशों ने मिलकर एक यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की।
- 1957 की रोम संधि :- सभी 6 देशों ने मिलकर इस संधि के तहत यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना की थी।
- सन 1973 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में यूके, आयरलैंड और डेनमार्क शामिल हो गए थे।
- 1981 से 1986 तक 3 देश और शामिल हो गए जो कि पुर्तगाल, स्पेन और यूनान था।
- मेस्ट्रीच संधि (1991):- इस संधि के तहत यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपियन संघ कर दिया गया था। यह संधि नीदरलैंड में हुई थी जिसे 1 नवंबर 1993 में लागू किया गया था। इस संधि का एक महत्वपूर्ण फैसला था कि अगर कोई भी देश यूरोपियन संघ में शामिल होंगे तो उसका एक ही मुद्रा होगा यूरो।
- 1995 में तीन और देश शामिल हुए ऑस्ट्रिया फिनलैंड, स्वीडन इसके साथ ही यूरोपीय संघ में कुल 15 देश शामिल हो गए।
- 2004 की नाइस संधि:- 2004 की नाइस संधि के दौरान पूर्वी यूरोप के वैसे 10 देश जो सोवियत संघ से अलग हुए थे वह सभी देश पूंजीवाद को अपनाते हुए नाइस संधि के द्वारा यूरोपियन संघ में शामिल हो गए और इसके साथ ही यूरोपीय संघ में कुल 25 देश शामिल हो गए।
- जनवरी 2007 में पूर्वी यूरोप के 2 देश रोमानिया और बुल्गारिया भी शामिल हो गए उसके बाद 2013 में क्रोएशिया देश यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। अब यूरोपीय संघ में देशों की कुल संख्या 28 हो गई थी।
- दिसम्बर 2020 में ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया । इसलिए वर्तमान में EU की कुल देश सदस्य संख्या 27 है ।

यूरोपियन संघ की संरचना:-

यूरोपियन परिषद:-

यूरोपियन परिषद यूरोपियन संघ की सर्वोच्च संस्था है। इसकी साल में चार बार बैठक होती है इसमें सभी 27 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होते हैं।

यूरोपियन संघ परिषद:-

यूरोपियन संघ परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है । यह यूरोपियन संघ में मंत्री परिषद का काम करती है। यूरोपियन संघ के सभी कानून इस परिषद के द्वारा तैयार किये जाते

❖ विश्व व्यापार संगठन (WTO)

परिचय

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक प्रमुख **बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संस्था** है जो वैश्विक स्तर पर व्यापार के नियमों को निर्धारित और संचालित करती है। इसका मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियम-आधारित व्यापार को बढ़ावा देना तथा आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सहयोग करना है। यह व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
- **स्थापना एवं पृष्ठभूमि (GATT से WTO तक)**
- **GATT का युग (1948-1994):** द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1948 में **'टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता' (GATT)** लागू हुआ, जिसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना था।
- **उरुग्वे दौर (1986-94):** यह GATT का अंतिम और सबसे व्यापक वार्ता दौर था, जिसके परिणामस्वरूप WTO की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- **मारकेश समझौता (1994):** अप्रैल 1994 में मोरक्को के मारकेश में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद **1 जनवरी, 1995** को आधिकारिक रूप से WTO अस्तित्व में आया। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।

WTO के प्रमुख उद्देश्य एवं सिद्धांत

- **सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN):** इसके अंतर्गत एक सदस्य देश द्वारा किसी अन्य देश को दिए गए विशेष व्यापारिक लाभ बिना किसी शर्त के सभी सदस्यों को देने अनिवार्य हैं।
- **राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment):** विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू बाजार में प्रवेश के बाद उनके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो स्थानीय उत्पादों के साथ किया जाता है।
- **पारदर्शिता (Transparency):** व्यापार नीतियों और नियमों में स्पष्टता सुनिश्चित करना ताकि सभी सदस्यों, विशेषकर कमजोर देशों को अपनी बात रखने का अवसर मिले।
- **बाजार पहुँच:** सीमा शुल्क और गैर-सीमा शुल्क बाधाओं को कम करके मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना।

संरचना एवं निर्णय प्रक्रिया

- **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC):** यह संगठन का **सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय** है, जिसमें सभी देशों के व्यापार मंत्री शामिल होते हैं और इसकी बैठक हर दो साल में होती है।
- **सामान्य परिषद (GC):** यह जेनेवा में स्थित नियमित निकाय है जो विवाद निपटान (DSB) और व्यापार नीति समीक्षा (TPRB) के रूप में भी कार्य करती है।
- **महानिदेशक (DG):** सचिवालय का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जिनका चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है।

प्रमुख समझौते

कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture - AoA)

इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं:

- **घरेलू समर्थन (Domestic Support):** इसमें सब्सिडी को तीन 'बॉक्स' में वर्गीकृत किया गया है:
- **ग्रीन बॉक्स:** इसमें वे सब्सिडियाँ आती हैं जो व्यापार में कोई विकृति पैदा नहीं करतीं (जैसे अनुसंधान, आपदा राहत)। इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- **अंबर बॉक्स:** इसमें वे सब्सिडियाँ शामिल हैं जो व्यापार को विकृत करती हैं, जैसे **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)**।
- **ब्लू बॉक्स:** यह "शर्तों के साथ अंबर बॉक्स" है, जहाँ सब्सिडी देने के साथ उत्पादन को सीमित करने की शर्त होती है।
- **बाज़ार पहुँच (Market Access):** टैरिफ (सीमा शुल्क) में कटौती करना और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाना।
- **निर्यात सब्सिडी:** निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को कम करना ताकि अन्य देशों के घरेलू बाजार को नुकसान न हो।

बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS समझौता)

TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ज्ञान और रचनात्मकता में व्यापार को विनियमित करता है। इसके प्रमुख अंग हैं:

- **कॉपीराइट (सर्वाधिकार):** यह साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के रचनाकारों को दिया जाता है। भारत में इसकी अवधि लेखक के जीवन भर और उसकी मृत्यु के **60 वर्ष बाद** तक होती है।
- **पेटेंट:** नए आविष्कारों के लिए दिया जाता है। भारत में **पेटेंट अधिनियम, 1970** इसके लिए प्रभावी है।
- **भौगोलिक संकेतक (GI):** यह उत्पाद की पहचान उसके विशिष्ट उत्पत्ति स्थल (जैसे दार्जिलिंग चाय) से कराता है।
- **ट्रेडमार्क:** यह किसी उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरों से अलग करने वाला प्रतीक होता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (2001):** यह सुनिश्चित करता है कि TRIPS समझौता सदस्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराने से न रोके।
- **TRIMS:** यह उन निवेश उपायों से संबंधित है जो वस्तुओं के व्यापार को प्रभावित करते हैं।
- **GATS:** यह सेवाओं (जैसे बैंकिंग, आईटी) के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाला पहला बहुपक्षीय समझौता है।

क्षमता निर्माण और शिक्षा: ISA की **'ISA अकादमी'** एक **AI-आधारित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म** है, जो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा से संबंधित कौशल और ज्ञान को मज़बूत करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की **'स्टार-सी' (STAR-C - Solar Technology and Application Resource Centre)** पहल सौर कौशल विकास और क्षमता निर्माण में निम्नलिखित तरीकों से मदद करती है:

प्रशिक्षण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण: इस पहल का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों, विशेष रूप से विकसित देशों में, सौर ऊर्जा परिवर्तन को संभालने के लिए आवश्यक **संस्थागत क्षमता और मानव कौशल** का निर्माण करना है। यह सौर कार्यबल को सक्षम बनाने और नीति निर्माताओं व वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाने का कार्य करती है।

प्रशिक्षण नेटवर्क और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान: STAR-C तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता और अनुसंधान केंद्रों का एक नेटवर्क बनाता है। इसके माध्यम से सदस्य देशों के बीच **सर्वोत्तम प्रथाओं (best practices)** और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया जाता है।

मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम: यह विभिन्न प्रकार के दर्शकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री विकसित करता है और सदस्य देशों में **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकीकरण (harmonization)** पर जोर देता है, ताकि वैश्विक स्तर पर कौशल की गुणवत्ता समान रहे।

गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण: यह केंद्र सौर उपकरणों और अनुप्रयोगों के लिए क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय स्तर पर **मानकीकरण, परीक्षण और तकनीकी प्रमाणन** की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

उद्यमिता और इन्क्यूबेशन: STAR-C स्थानीय सौर व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमों के **इन्क्यूबेशन** में मदद करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक विकास को गति मिलती है।

ज्ञान प्रबंधन केंद्र: यह एक ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करता है जो सौर डेवलपर्स और निर्णय लेने वाले संस्थानों को सौर ऊर्जा डेटा, दिशानिर्देश, विश्लेषणात्मक उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ISA का लक्ष्य **2030 तक 50 स्टार-सी केंद्र** स्थापित करना है, जो सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों (SDG 7 और SDG 13) को प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।

अध्याय – 4

भारत की विदेश नीति में समकालीन रणनीतिक उपक्रम

भारत की समकालीन विदेश नीति 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) और व्यावहारिक यथार्थवाद पर आधारित है, जो 'ग्लोबल साउथ' की आवाज़ बनने, पड़ोस प्रथम (Neighborhood First) नीति, क्वाड (Quad) व I2U2 जैसे लघुपक्षीय (Mini-lateral) समूहों के माध्यम से चीन को संतुलित करने तथा रक्षा व तकनीक (जैसे फ्रांस के साथ रक्षा समझौते) में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। यह नीति गुटनिरपेक्षता से हटकर 'बहु-संरेखण' (Multi-alignment) की ओर बढ़ी है।

प्रमुख समकालीन रणनीतिक उपक्रम

बहु-संरेखित नीति (Multi-alignment): भारत ने गुटनिरपेक्षता के बजाय बहु-संरेखण की नीति अपनाई है, जिसके तहत वह अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड (Quad) और ब्रिक्स (BRICS/SCO) दोनों में सक्रिय है।

भारतीय विदेश नीति में **'बहु-संरेखण' (Multi-alignment)** का सिद्धांत:

1. **भारत की बदलती विदेश नीति**

   रणनीतिक विकास: 2000 के बाद से, भारत की विदेश नीति 'नैतिक आदर्शवाद' से हटकर **'रणनीतिक व्यावहारिकता'** की ओर बढ़ी है। भारत ने पारंपरिक 'गुटनिरपेक्षता' के स्थान पर **'बहु-संरेखण' (Multi-alignment)** को अपनाया है, जिससे वह अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ स्वतंत्र संबंध बनाए रखते हुए अपने हितों की रक्षा कर सकता है।

   ग्लोबल साउथ की आवाज़: भारत ने खुद को **"विश्वमित्र"** और **"ग्लोबल साउथ की आवाज़"** के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। यह नेतृत्व भौतिक प्रभुत्व के बजाय गठबंधन निर्माण और नैतिक वैधता पर आधारित है।

2. **संस्थागत और राजनयिक मंच (G20 और BRICS)**

   G20 अध्यक्षता (2023): "वसुधैव कुटुंबकम" के विषय के तहत, भारत ने समावेशी विकास और डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि **अफ्रीकी संघ** को G20 का स्थायी सदस्य बनाना था।

   BRICS: भारत ने BRICS का उपयोग पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों के विकल्प के रूप में और दक्षिण-दक्षिण सहयोग (जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक) को बढ़ावा देने के लिए किया है।

   संयुक्त राष्ट्र सुधार: भारत सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट के लिए लगातार वकालत कर रहा है, जिसे वह ग्लोबल साउथ के उचित प्रतिनिधित्व के रूप में देखता है।